



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032020-218975
CG-DL-E-31032020-218975

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942

No. 178]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

सा.का.नि. 228(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11 क और धारा 12 क के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (5) के परंतुक के खंड (III) में, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(IIIक) खंड (III) में किसी बात के होते हुए भी, लघु खाता 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच और ऐसी अन्य अवधियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, प्रचालित रहेगा।

[फा. सं. पी-12011/18/2019-ई एस सेल-डी ओ आर]

ऋत्तिक पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और संख्यांक सा.का.नि. 840(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2020

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in clause (iii) to the proviso to sub-rule (5) of rule 9, the following clause shall be inserted, namely:-

“(iiia) Notwithstanding anything contained in clause (iii), the small account shall remain operational between 1st April, 2020 and 30th June 2020 and such other periods as may be notified by the Central Government.”.

[F.No. P-12011/18/2019-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and were last amended *vide* number G.S.R. 840(E), dated the 13th November, 2019.